परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

जिला योजना 2011–12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/ जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत देवीनगर (धामपुर) –तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग (प्रथम चरण) हेतु रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत सीमान्त गांव तुसरेरा आवादी (118) एवं ठांगा (160) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। इस क्षेत्र का मुख्य बाजार, बैंकिंग कार्य, शैक्षणिक संस्थान आदि बेरीनाग है। इस मोटर मार्ग का निर्माण सिमली–ग्वावलदम–बैजनाथ– बागेश्वर–बेरीनाग–अस्कोट राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 11 में देवीनगर (घामपुर) नामक स्थान जो कि जनपद पिथौरागढ़ का सीमान्त गांव है, से प्रस्तावित किया गया है और जनपद बागेश्वर के ग्राम तुसरेरा होते हुए ठांगा तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 7.00 कि0मी0 आती है जहां पर यह निर्माणाधीन खातीगांव–नरगोली–चन्तोला मोटर मार्ग में ग्राम ठांगा में मिल जायेगा। खातीगांव–नरगोली–चन्तोला स्वीकृत मोटर मार्ग पर भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/यू.सी0पी0/06/ 144/2013/एफ0सी0/ 152 दिनांक 25.09.2014, द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है एवं राज्य सरकार द्वारा सभी शर्तों का पालन करने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति भेजी जा चुकी है जिस पर शीघ्र ही विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने की सम्भावना हैं। सैनिक बाहूल्य क्षेत्र होने से लगभग प्रत्येक परिवार का एक सदस्य देश की सीमाओं की रक्षा हेतु सेना में कार्यरत हैं। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को यातायात एवं परिवहन सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को अपने उत्पादों को नजदीकी मुख्य बाजार बेरीनाग तक लाने में मदद मिलने से उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा। स्कूली बच्चों को अध्ययन हेतु बेरीनाग स्थित विघ्यालयों में आने जाने की सुविधा होगी जिससे मुख्यरूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकांश लम्बाई में वन भूमि आने एवं ग्रामीण मोटर मार्ग होने के कारण न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 07 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया जा रहा है जिसमें मलवा निस्तारण योजना के अनुसार अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों की 0.112 है0 अतिरिक्त वन भूमि सम्मिलित करते हुए कुल 4.4905 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही हैं,। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही निर्देशानुसार 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण देवीनगर (धामपुर) नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार आरम्भ में एवं बीच में लगभग 745 मीटर नाप भूमि के अलावा अधिकांश लम्बाई आरक्षित वन भूमि एवं वन पंचायत भूमि में आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण संरेखण संख्या 1 से लगभग 500 मीटर पहले से प्रस्तावित किया गया है जिसमें सम्पूर्ण लम्बाई आरक्षित भूमि एवं वन पंचायत भूमि में आती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं अधिक आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 7.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 4.4905 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 593 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर